

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/झाँसी एस0एस0 विजिट/2018-19/19910 दिनांक-02.02.2020
विषय- दिनांक 22 से 25 जनवरी, 2020 तक राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एन0एण्ड ई0/2019-20/18/7999-2 दिनांक-20.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों का भ्रमण कर जनपदों में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 22 से 25 जनवरी, 2020 तक जनपद झाँसी (जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (HWC), सकरार, अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौद दरवाजा एवं नगरा, उपकेन्द्र-परीक्षा थरमल, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, दिगरा, ब्लाक-बडागौव) का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

उपलब्ध करायी गयी समीक्षा रिपोर्ट/भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कर बिन्दुवार अनुपालन 1 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
28/02/2020

(डा0ए0के0 पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/झाँसी एस0एस0 विजिट/2018-19 तददिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-झाँसी।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, झाँसी।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, झाँसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, झाँसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(पराग पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.

जनपद—झाँसी, भ्रमण आख्या
दिनांक—22.01.2020 से 25.01.2020

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/7999-2 दिनांक— 20.12.2019 के क्रम में पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक— 22 से 25 जनवरी, 2020 को भ्रमण दल द्वारा जनपद—झाँसी का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है—

1. पराग पाण्डेय, महाप्रबन्धक, ई०एम०टी०एस, अनुभाग एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
2. मोहम्मद अताउर रब, उपमहाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस, अनुभाग एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
3. प्रभाकर शाक्या, तकनीकी परामर्शदाता, एम०आई०एस०, अनुभाग एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० लखनऊ।
4. संदीप कनौजिया, इन्टर्नल ऑडिटर, वित्त अनुभाग एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० लखनऊ।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत है—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगरा, झाँसी।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
● स्वास्थ्य ईकाई में वेलनेस कक्ष का चिन्हीकरण कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगतिशील है। ● स्वास्थ्य ईकाई पर प्रतिमाह 100—150 प्रसव किया जा रहा है। ● स्वास्थ्य ईकाई पर एम० बी० बी०एस० ग्यानाकलोजिस्ट चिकित्सक की आवश्यकता है। ● स्वास्थ्य ईकाई पर पैथोलॉजी में उपकरण की अक्रियाशीलता के कारण C.B.C का परिक्षण नहीं किया जा रहा है। ● लेबर रूम में 07 ट्रे मानकानुसार व्यवस्थित नहीं थी एवं उन पर दवाईयों की सूची प्रदर्शित नहीं थी जबकि नर्स मेंटर सम्बद्ध थी तथा आकस्मिक दवाईयों का प्रदर्शन मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। साथ ही लेबर रूम के अन्दर मानकानुरूप प्रोटोकाल पोस्टर प्रदर्शित नहीं थे। ● लेबर रूम में डिजिटल धड़ी अक्रियाशील थी। ● ओ०टी०यूनिट में अभिलेखिकरण एवं सूचना संग्रहण उचित नहीं था तथा मानकानुसार सूचनाएँ दर्ज नहीं की जा रही थी, एम०सी०टी०एस०/ आर०सी०एच० नम्बर भी दर्ज नहीं किये जा रहे थे। ● पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। ● लेबर टेबल पर मेकेंटोस नहीं था एवं उपलब्ध कैलिस पैड भी पंचर था। ● पी०एन०सी० वार्ड में टीकाकरण नहीं किया जा रहा था परन्तु पंजीका पुस्तक में दर्ज किया जा रहा था। ● मरीजों को रात का भोजन नहीं दिया जा रहा था। ● रसोई घर मानकानुसार व्यवस्थित नहीं था तथा साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी एवं आई०ई०सी० भी नहीं	● स्वास्थ्य ईकाई में चिन्हित वेलनेस कक्ष में आई०ई०सी० करवाने का सुझाव दिया गया।	

करवाई गयी। • 102 एम्बुलेंस में मानकानुसार उपकरण (बी0पी0, आक्सीजन, ए0सी0 अन्य) अक्रियाशील थे, एवं औषधियों पर कालातीत दिनांक फरवरी/मार्च 2020 पायी गयी। • 102 एम्बुलेंस में पायलट द्वारा हस्तान्तरित समय दर्ज नहीं किया जा रहा था तथा मानकानुसार चेकलिस्ट भी नहीं भरी जा रही थी, साथ ही बी0पी0 की रीडिंग पंजीका पुस्तक में दर्ज की जा रही थी। जबकि बी0पी0 उपकरण मौजूद ही नहीं था। • ALS एम्बुलेंस के उपकरण क्रियाशील नहीं थे क्योंकि एम्बुलेंस इन्वर्टर मौजूद नहीं था, सभी उपकरण बंद एवं अक्रियाशील थे, बी0पी0 उपकरण मैनुवल एवं अक्रियाशील था। • पी0डी0आर0 पंजीका में दर्ज की गयी सूचना के अनुरूप एम्बुलेंस में उपकरण मौजूद नहीं था। • एम्बुलेंस में कोई भी उपकरण क्रियाशील नहीं पाया गया, परन्तु पंजीका में सूचनाएं दर्ज की जा रही थी साथ ही एम्बुलेंस के पायलट को चेकलिस्ट की जानकारी नहीं थी। • जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 232 लाभार्थियों का भुगतान किया जाना लम्बीत है।		
---	--	--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरार, झॉसी।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
• चिकित्सालय के लेबर रूम में 07 ट्रे मानकानुसार नहीं थी । • लेबर टेबल पर मेकेंटोस गीला था एवं उपलब्ध कैलिस पैड भी पंचर था। • लेबर रूम में कार्यरत स्टॉफ नर्स लेबर रूम के कार्य हेतु उन्नमुखीकृत नहीं थी एवं उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। • स्वास्थ्य ईकाई में एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की आवश्यकता है। • स्वास्थ्य ईकाई में प्रतिदिन लगभग 70 से 80 ओ0पी0डी0 की जा रही है। • चिकित्सालय में प्रयोगशाला मानकानुसार क्रियाशील नहीं थी एवं प्रयोगशाला का स्थान कार्यक्षमता के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं था।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक एवं जनपद स्तर

● गायोगशाला में जॉच किट उपलब्ध थी परन्तु लैब टेक्नीशियन द्वारा परीक्षण नहीं किये जा रहे थे। ● स्वास्थ्य ईकाई में बेस्ट प्रबन्धन प्रक्रिया में नहीं पाया गया।		
---	--	--

जिला महिला चिकित्सालय, झॉसी।

● परिवार नियोजन परामर्शदाता के अभिलेख अपूर्ण एवं अनियोजित है। छाया पंजीका में दर्ज की गयी प्रविष्टि अनुसार फालोअप नहीं किया जा रहा था। मरीज द्वारा दी जाने वाली प्रविष्टि को भरा नहीं जा रहा था। ● पंजीका में अन्तरा इंजेक्शन से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण एवं अनियोजित पाये गये, साथ ही अन्तरा इंजेक्शन के द्वितीय डोज की प्रविष्टि का विवरण मौजूद नहीं था, साथ ही माहवार मूल्यांकन भी नहीं किया जा रहा था। ● लेबर रूम में 07 ट्रे मानकानुसार व्यवस्थित नहीं थी एवं उन पर दवाईयों की सूची प्रदर्शित नहीं थी जबकि नर्स मेंटर सम्बद्ध थी तथा आकस्मिक दवाईयों का प्रदर्शन मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। साथ ही लेबर रूम के अन्दर मानकानुरूप प्रोटोकाल पोस्टर प्रदर्शित नहीं थे। ● ओ0टी0यूनिट में अभिलेखिकरण एवं सूचना संग्रहण उचित नहीं था तथा मानकनुसार सूचनाएं दर्ज नहीं की जा रही थी, एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 नम्बर भी दर्ज नहीं किये जा रहे थे। ● Case Sheet आंशिक रूप से भरी जा रही थी एवं सूचना संग्रहण उचित नहीं था तथा मानकनुसार सूचनाएं अंकित नहीं थी, एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 नम्बर भी दर्ज नहीं किये जा रहे थे। ● पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। ● लेबर टेबल पर मेकेंटोस क्रियाशील नहीं था एवं उपलब्ध कैलिस पैड भी पंचर था। ● लेबर रूम में उपलब्ध वैक्सीन्स (Diclofenac injection, Ranitidine injection) की दिनांक कालातीत पाई गई। ● लेबर रूम में डिजिटल घड़ी अक्रियाशील थी। ● KMC एवं SNCU वार्ड को पास-पास होना चाहिए परन्तु चिकित्सालय में दोनों अलग-अलग तल पर हैं। ● SNCU वार्ड में उपलब्ध वैक्सीन्स (Diclofenac injection, Ranitidine injection) की दिनांक कालातीत पाई गई,	चिकित्सा अधीक्षक अपने स्तर समस्त कमियों का निस्तारण 01 सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।	जनपद स्तर से
--	--	--------------

साथ ही ज्यादातर औषधियों की दिनांक कालातीत पाई गई। ● SNCU वार्ड में कार्यरत स्टॉफ नर्स को कालातीत औषधि एवं वैक्सीन्स की जानकारी नहीं थी। ● SNCU वार्ड में ऑक्सीजन उपकरण की उपयोगिता का अभिलेखीकरण माह नवम्बर, 2019 के बाद से नहीं पाया गया। ● डी0वी0डी0एम0एस0 डिस्पले सिस्टम चिकित्सालय परिसर में मौजूद नहीं था।		
--	--	--

अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौद दरवाजा, नई-बस्ती, झॉसी।

● स्वास्थ्य ईकाई में उपलब्ध चिकित्सक की स्वास्थ्य ईकाई के बाहर आकस्मिक सेवा के कारण मरीजों को देखने में कमी पाया गया। ● स्वास्थ्य ईकाई में एम0बी0बी0 एस0 चिकित्सक की आवश्यकता है। ● इन्वर्टर की कमी के कारण स्वास्थ्य ईकाई में बिजली की समस्या पायी गयी। ● लेबर टेबल पर मेकेंटोस क्रियाशील नहीं था एवं उपलब्ध कैलिस पैड भी पंचर था। ● स्वास्थ्य ईकाई में योगा हेतु कक्ष मानकानुसार छोटा था तथा मिटिंग हाल के साथ संबद्ध पाया गया। ● स्वास्थ्य ईकाई में आई0ई0सी0 की कमी पायी गयी।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक एवं जनपद स्तर
---	---	----------------------------

अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरा, झॉसी।

● स्वास्थ्य ईकाई पर उपलब्ध अभिलेखों में आ0सी0एच0/एम0सी0टी0एस0 नं0 उपलब्ध नहीं थे। ● स्वास्थ्य ईकाई पर पार्ट टाइम चिकित्सक होने के कारण मरीजों को देखने में समय लग रहा था। ● स्वास्थ्य ईकाई में एम0बी0बी0 एस0 चिकित्सक तथा सर्पोटिंग स्टाफ की आवश्यकता है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक एवं जनपद स्तर
---	---	----------------------------

स्वास्थ्य ईकाई में आईईसी तथा प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी।		
--	--	--

वीएचओडी, दिगारा, ब्लाक बड़ागँव झोंसी।

- केन्द्र में आईईसी तथा प्रोटोकॉल पोस्टर की कमी पायी गयी। - केन्द्र में कार्यरत आशा को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। - एचओपी महिलाओं की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही तथा ड्यूलिस्ट में पीएनसी सेवाएँ नहीं दी जा रही है। - सत्र स्थल पर भ्रमण के समय तक अत्यन्त कम लाभार्थियों का आच्छादन किया गया था। - आंगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा वी.एच.एन.डी. सत्र पर कोई सेवा नहीं दी जा रही है। न ही कोई रिकार्ड या उपकरण या सुविधा ही उपलब्ध है।	बीसीपीएम / एएनएम को आवश्यक आईईसी सामग्री तथा दवायें एवं अन्य सभी उपकरणों उपलब्धता के साथ नियमानुसार वी.एच.एन.डी. के अर्न्तगत दी जाने वाली सभी सेवाएं लाभार्थी तक पहुचाने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक / उपकेन्द्र स्तर
---	--	------------------------

उपकेन्द्र, पारीक्षा थर्मल, झोंसी।

- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर उपकेन्द्र IEC Branding का कार्य अधूरा है। - उपकेन्द्र पर दवाईया ईडीएल के मानकानुसार उपलब्ध नहीं थी। - उपकेन्द्र पर कार्यरत सीएचओ द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया। - उपकेन्द्र पर कार्यरत सीएचओ द्वारा अभिलेखिकरण एवं सूचना संग्रहण नहीं किया जा रहा था। - उपकेन्द्र पर वांछित आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं था , अभिलेख भी संकलित नहीं थे एवं रखरखाव भी व्यवस्थित नहीं था।	बीसीपीएम / एएनएम को आवश्यक आईईसी सामग्री तथा दवायें एवं अन्य सभी उपकरणों उपलब्धता के साथ नियमानुसार वी.एच.एन.डी. के अर्न्तगत दी जाने वाली सभी सेवाएं लाभार्थी तक पहुचाने हेतु सुझाव दिया गया।	ब्लाक / उपकेन्द्र स्तर
--	--	------------------------

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या

जनपद झाँसी, दिनांक 22.01.2020 से 25.01.2020 तक

अवगत कराना है कि 01.04.2012 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी "आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट" में वर्णित लेखा पुस्तकों का रख-रखाव अनिवार्य कर दिया गया है। आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी चेकलिस्ट को संज्ञान में रखते हुए जनपद झाँसी के सी0एच0सी0 बंगरा, जिला महिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकिता की गयी अभिलेखों के आधार पर आख्या निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष 2019-20

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

क्रम सं०	अवलोकन बिंदु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	आर०सी०एच० एवं आर०के०एस० की कैश बुक दिनांक 31.12.19 तक अद्यतन हैं।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेंट के अध्याय 6 आंतरिक नियंत्रण में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कैश बुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाये। ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 3 कार्यदिवस में कैश बुक को पूर्ण कर लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/प्रभारी चिकित्साधिकारी
2	कैश बुक में सम्बंधित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं कराया जा रहा है।	कैश बुक सम्बंधित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन कराया जाए।	
3	वर्ष 2019-20 में स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	स्टॉक रजिस्टर को शीघ्र बनाये जाने के निर्देश दिए गए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
4	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा माह अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक के बैंक समाधान विवरण बनाये गए हैं किन्तु उन्हें प्रभारी चिकित्साधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया है एवं माह अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक के बैंक समाधान विवरण नहीं बनाये गए हैं।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा बैंक समाधान विवरण को शीघ्र ही प्रभारी चिकित्साधिकारी से सत्यापित कर लिया जायेगा एवं दिसंबर 2019 तक के बैंक समाधान विवरण 7 कार्यदिवस में बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
5	निरीक्षण के दौरान टेंडर/कोटेशन की पत्रावलियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयी।	निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	लेखा लिपिक
6	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गयी।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	लेखा लिपिक
7	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा माह अक्टूबर 2019 तक के बैंक स्टेटमेंट निरीक्षण हेतु	प्रतिमाह के बैंक स्टेटमेंट पत्रावली पर रक्षित करने के निर्देश दिए गए।	ब्लॉक लेखा

	उपलब्ध कराये गए ।		प्रबंधक
8	जनरेटर के डीजल के भुगतान के वाउचर के साथ जनरेटर के लॉग बुक की छायाप्रति नहीं संलग्न नहीं की जा रही हैं।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को डीजल भुगतान के वाउचर के साथ जनरेटर की लॉग बुक की छायाप्रति संलग्न करने के निर्देश दिए गए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
9	आर०बी०एस० के० के अंतर्गत चलाये जा रहे वाहनों की लॉग बुक पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं थी।	लॉग बुक को पूर्ण रूप से अद्यतन करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित कर दिया गया है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
1	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा माहवार एफ०एम०आर० का प्रिंटआउट निकाल के पत्रावली पर रक्षित नहीं किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को एफ०एम०आर० का प्रिंटआउट निकाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर पत्रावली पर रक्षित करने के निर्देश दिए गए।	
1	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 128 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना बाकी है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को जननी सुरक्षा योजना के के भुगतान शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए।	
1	आर०के०एस० की आडिट रिपोर्ट सी०एच०सी० पर उपलब्ध नहीं थी।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018 –19 तक का ऑडिट पूर्ण हो चुका है परन्तु ऑडिट रिपोर्ट सी०ए० द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
1	ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गयी।	ब्लॉक हेल्थ एक्शन प्लान के अनुमोदित बजट के अनुसार भुगतान किये जाने चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक

जिला महिला चिकित्सालय झाँसी का लेखा एवं रिकॉर्ड की बिंदुवार आख्या निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	अवलोकन बिंदु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1.	आर०सी०एच० एवं आर०के० एस० की कैश बुक दिनांक 04.12.19 तक अद्यतन हैं।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंसियल मैनेजमेंट के अध्याय 6 आंतरिक नियंत्रण में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कैश बुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाये। ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 3 कार्यदिवस में कैश बुक को पूर्ण कर लिया जायेगा।	सी०एम०एस० / अकाउंटेंट
2.	पी०एफ०एम०एस० निर्गत पंजिका निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाया जा रहा है।	लेखाकार को पी०एफ०एम०एस० निर्गत पंजिका निर्धारित प्रारूप पर बनाये जाने के निर्देश दिए गए।	
3.	लेखाकार द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 445 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना शेष	लेखाकार को जननी सुरक्षा योजना के शेष भुगतान शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए।	

	हैं।		
4.	लेखाकार द्वारा समस्त लेखांकन का कार्य मैनुयली किया जा रहा है।	लेखाकार को लेखांकन सम्बन्धी कार्य टैली ई०आर०पी० 9 सॉफ्टवेयर पर किये जाने के निर्देश दिए गए।	
5.	कैश बुक में सम्बंधित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं कराया जा रहा है।	कैश बुक सम्बंधित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन कराया जाए।	
6.	लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 तक के बैंक समाधान विवरण बनाये गए हैं।	वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बैंक समाधान विवरण प्रतिमाह बनाया जाना अनिवार्य है।	
7.	अकाउंटेंट द्वारा माह अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 तक के बैंक समाधान विवरण बनाये गए हैं किन्तु उन्हें सी०एम०एस० से सत्यापित नहीं कराया गया है एवं दिसंबर 2019 का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया है।	अकाउंटेंट द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा बैंक समाधान विवरण को शीघ्र ही सी०एम०एस० से सत्यापित कर लिया जायेगा एवं दिसंबर 2019 का बैंक समाधान विवरण 2 कार्यदिवस में बना लिया जायेगा।	

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय ,जनपद झाँसी की लेखा एवं रिकॉर्ड की बिंदुवार आख्या निम्नवत है:—

क्रम सं०	लेखा पुस्तक का नाम	विवरण
1	कैश बुक / बैंक बुक	कार्यक्रमवार कैश बुक / बैंक बुक तैयार की गयी है। परन्तु "आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट" के मानको के अनुरूप नहीं है। कैशबुक का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है।
2	लेजर	समस्त कार्यक्रम के मैनुअल लेजर तैयार किये जा रहे हैं। परन्तु टैली पर तैयार लेजर का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित नहीं किया जा रहा है।
3	जर्नल रजिस्टर	वित्तीय वर्ष 2019-20 के समायोजन हेतु मैनुअल जर्नल रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
4	बैंक स्टेटमेंट	जिला लेखा प्रबंधक द्वारा प्रतिमाह का बैंक स्टेटमेंट पत्रावली पर रक्षित नहीं किया जा रहा है।
5	पी०एफ०एम०एस० / चेक निर्गत रजिस्टर	1. चेक निर्गत रजिस्टर निर्धारित मानक के अनुसार रखा गया है। 2. जमा धनराशियों का ब्योरा दर्ज किया गया है। 3. अवशेष धनराशि का विवरण प्रदर्शित किया गया है। 4. अधिकतर प्रकरण में संक्षिप्त विवरण ही अंकित किया गया

		है।
6	अग्रिम रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया है। इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
7	डिस्बर्समेंट रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया है। इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
8	बैंक समाधान विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बैंक समाधान विवरण का कार्यक्रमवार मासिक तैयार नहीं किया जा रहा है तथा सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कालातीत चेको की सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता यह एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसका सावधानी पूर्वक मिलान नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए तथा सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित करना चाहिए। बैंक समाधान विवरण की हार्ड कॉपी पत्रावली पर संरक्षित नहीं की जा रही है।
9	फिक्सड असेस्ट रजिस्टर/कन्ज्यूमेबल्स स्टॉक रजिस्टर	फिक्सड असेस्ट रजिस्टर/कन्ज्यूमेबल्स स्टॉक रजिस्टर अनुभाग द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है।
10	ग्रान्ट प्राप्ति रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया है। इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
11	आयकर एवं जी०एस०टी०	आयकर एवं जी०एस०टी० के दाखिल किये हुए रिटर्न की पत्रावली निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराई गयी।
12	टेंडर/कोटेशन	जिला लेखा प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019 -20 में कोई नवीन टेंडर नहीं कराया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2018 -19 के टेंडरो का नवीनीकरण किया गया है।
13.	वाउचर सिस्टम	टैली जनरेटेड प्रिन्टेड वाउचर यथोचित सपोर्टिंग के साथ पत्रावली में अभिरक्षित नहीं किया जा रहा है। समस्त वाउचरों को किये गये भुगतान के क्रमानुसार रक्षित किया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

सारांश एवं सुझाव

- आपरेशनल गाईडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट का व्यापक अनुश्रवण कर समस्त इकाईयों पर दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेख का रख-रखाव करते हुए पालन किया जाये।
- व्यय की समीक्षा भौतिक प्रगति के सापेक्ष नियमित अन्तराल पर की जाये एवं लक्ष्य के अनुरूप व्यय हेतु ठोस कदम उठाये जायें।
- आपरेशनल गाइड लाइन के अनुसार लेखांकन सुनिश्चित किया जायें।
- जिले के सभी पीएचसी/सीएचसी लेखा कर्मियों की निश्चित अन्तराल में बैठक/प्रशिक्षण आयोजित की जानी चाहिए जिससे उनकी व्यवहारिक एवं कर सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर किया जा सके।

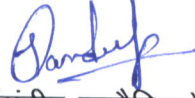
 

- रू 20,000.00 से रू 1,00,000.00 के क्रय के लिये तीन फर्मों की कोटेशन (कम से कम) लेकर जो निम्नतम हो। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके कोटेशन प्रक्रिया से न बचें।
- रू 1,00,000.00 से ऊपर के क्रय के लिये टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाये। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके टेण्डर प्रक्रिया से न बचें।
- चेक निर्गत रजिस्टर एवं जे0एस0वाई रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाये।
- बी0आर0एस0 माहवार तैयार किया जाना चाहिए।



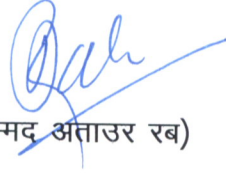
(प्रभाकर शाक्या)

तकनीकी परामर्शदाता
एम0आई0एस0, अनुभाग



(संदीप कनौजिया)

ऑफिसर आडिट
वित्त अनुभाग



(मोहम्मद अताउर रब)

उपमहाप्रबंधक
कम्युनिटी, अनुभाग।



(पराग पाण्डेय)

महाप्रबंधक
ई0एम0टी0एस, अनुभाग